10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 / निगरानी
निगरानी - 2572/2018/देवास/भू.रा

खुर्शीद आत्मज अब्दुल रशीद कुरेशी निवासी
44- तिलक नगर देवास ------ आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन व्दारा खनिज निरीक्षक देवास.
------ अनावेदक

निम्न उपस्थित/ दिनांक 14/18 को अभि: एम.एम. कुरैशी द्वारा प्रस्तुत। DIR

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959
बनाराजी आदेश दिनांक 6-4-2010 अपर आयुक्त महोदय
उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 646/2016-17 अपील

माननीय महोदय,

आवेदक, अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन व्दारा पारित आदेश दिनांक 6-4-2018 प्रकरण क्रमांक 646/16-17 अपील से असन्तुष्ट एवम दुखित होकर निम्न आधारों पर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है ::-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/देवास/भूरा/2018/2572

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-18	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-4-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विधिवत् संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक सुनवाई की जाकर आवेदक के द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर रायल्टी अधिरोपित की गई है । जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	